

राजस्थान – सरकार
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), पाली
टेण्डर फार्म

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली विधानसभा आम चुनाव, 2018 की विडियोग्राफी/सी.सी.टी.वी. कैमरा की दर संविदा (Rate Contract Under Rule 29 of RTPP Rule 2013)
2. नाम व पता निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का :
.....
.....
.....
फर्म का जी.एस.टी. नम्बर पैन नम्बर(फोटो प्रति संलग्न)
3. सन्दर्भ टेण्डर क्रमांक : दिनांक
4. टेण्डर फार्म फीस रूपये 200/- रसीद संख्या दिनांक के द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा दिये गये हैं।
5. मेरी फर्म/ मुझे उक्त निविदा की सभी शर्तें जो कि आप द्वारा निर्धारित हैं, मान्य हैं।
6. विडियोग्राफी की दरें प्रतिदिन मय विडियो कैसेट/ सी.डी. / कैमरामेन समस्त कर सहित निम्नलिखित हैं : (सम्पूर्ण जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र के लिये) (समस्त कर सहित)
 - (i) सम्पूर्ण जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र के लिये दर प्रति कैमरा (24 घण्टे)
अंकों में शब्दों में
 - (ii) जिले की किसी विधानसभा क्षेत्र विशेष पर अगर दरें देना चाहे तो: (24 घण्टे)
विधानसभा क्षेत्र का नाम
दर प्रति कैमरा
 - (iii) पाली मुख्यालय के लिये दर प्रति कैमरा (24 घण्टे)
अंकों में शब्दों में
 - (iv) केवल कैमरा मैन मजदूरी प्रति दिन (24 घण्टे)
 - (v) केवल कैमरा 4 जीबी किराया प्रति दिन
7. रंगीन एल.सी.डी. टी.वी. मय डी.वी.डी.प्लेयर किराया प्रति नग दर
अंकों में शब्दों में

आईटम क्रमांक	विवरण	
1	सी.सी.टी.वी. कैमरा किराये पर (डी.वी.आर. 16, नाईट विजन कैमरा, वाईरिंग, यूपीएस, हार्ड डिस्क ऑफ बैकअप, सुपरविजन पर्सन, एलइडी टी.वी. डिस्पले व इन्स्टालेशन सहित) एक मुश्त किराया (16 के अतिरिक्त कैमरा लगाये जाने पर अनुपातिक रूप से भुगतान होगा।)	3 दिन के लिये एक मुश्त किराया 7 दिन के लिये एक मुश्त किराया
2	सी.सी.टी.वी. कैमरा किराये पर (डी.वी.आर. 8, नाईट विजन कैमरा, वाईरिंग, यूपीएस, हार्ड डिस्क ऑफ बैकअप, सुपरविजन पर्सन, एलइडी टी.वी. डिस्पले व इन्स्टालेशन सहित) एक मुश्त किराया (16 के अतिरिक्त कैमरा लगाये जाने पर अनुपातिक रूप से भुगतान होगा।)	3 दिन के लिये एक मुश्त किराया 7 दिन के लिये एक मुश्त किराया
3	सी.सी.टी.वी. कैमरा किराये पर (डी.वी.आर. 4, नाईट विजन कैमरा, वाईरिंग, यूपीएस, हार्ड डिस्क ऑफ बैकअप, सुपरविजन पर्सन, एलइडी टी.वी. डिस्पले व इन्स्टालेशन सहित) एक मुश्त किराया (16 के अतिरिक्त कैमरा लगाये जाने पर अनुपातिक रूप से भुगतान होगा।)	3 दिन के लिये एक मुश्त किराया 7 दिन के लिये एक मुश्त किराया
4	प्रति दिन का अतिरिक्त एलइडी टी.वी. का अतिरिक्त किराया	

9. धरोहर राशि रूपये 16,000/- मार्फत रसीद संख्या दिनांक के द्वारा जमा करवा दिये गये हैं ।


निविदादाता के हस्ताक्षर मय
फर्म का नाम, पता एवं मोहर

विधानसभा आम चुनाव, 2018 हेतु विडियोग्राफी/सी.सी.टी.वी. की निविदा
क्रमांक : 910 दिनांक 24/9/18की शर्तें :

1. निविदा निर्धारित प्रारूप में दिनांक 11.10.2018 को दिन के 02:30 बजे तक बन्द लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगे। निविदा फार्म 200/- रु जमा करवाकर दिनांक 11.10.2018 को दिन के 02:00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 11.10.2018 को दिन के 3:00 बजे खोल दी जायेगी।
2. निविदा फार्म के साथ 16,000/- रुपये धरोहर राशि रोकड़/डी.डी./बैंकर चैक से जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
3. विडियोग्राफर किसी राजनैतिक दल का समर्थक/सदस्य नहीं होना चाहिये इसका अलग से शपथ पत्र देना होगा। साथ ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी से सहानुभूति रखने वाले एवं समर्थक नहीं होना चाहिये तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा किराये पर नहीं लिया गया हो। विडियोग्राफी की सी.डी./कैसेट/रिकार्डिंग पूर्णतया गोपनीय रखनी होगी तथा उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना होगा।
4. विडियोग्राफर को इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के साथ ही निर्देशानुसार कार्य करना होगा। विडियोग्राफर के पास समुचित कैमरे उपलब्ध एवं कार्य का अनुभवी तथा वित्तीय स्थिति भी अच्छी होनी चाहिये। विडियो कैमरे की अतिरिक्त मांग करने पर अनुमोदित दरों पर ही उपलब्ध कराने होंगे। समेकित सम्भावित विडियोग्राफर दिवस में कमी या अधिक विडियोग्राफी / फोटोग्राफी की मात्रा हो सकती है।
5. विडियोग्राफी की दरें प्रतिदिन के हिसाब से समस्त कर सहित देनी होगी। (किराया में कैसेट/कैमरा मेन/सी.डी. की दरों सहित)
6. जिस अधिकारी / ई.आर.ओ./ ए.आर.ओ. के पास विडियोग्राफर नियुक्त किया जायेगा वह उसी अधिकारी के पास उपस्थित रहेगा। बिना अनुमति के कैमरा व स्वयं अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार कटौती की जायेगी।
7. निविदादाता को सी.सी. टी.वी से संबंधित रिकार्ड सुरक्षित रखना होगा चुनाव समाप्ति पश्चात् हार्डडिस्क में स्टोर किए गए रिकार्ड को सी.डी./डी.वी.डी. चुनाव कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। डाटा की गोपनीयता बरतनी होगी। सीसी टीवी कैमरे में केबल एवं लगाने का चार्ज शामिल कर के देना होगा। दरें स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय का होगा। सफलतम निविदादाता को उसके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले विडियोग्राफर की सूचना निर्धारित प्रारूप में कार्यादेश 2 दिवस में देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में विडियोग्राफर की नियुक्ति कार्यादेश के 3 घण्टे में होगी।
8. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. उपरोक्त शर्तों के साथ RTPP Rules 2013 की समस्त शर्तें लागू रहेगी। संलग्न ए से डी फार्म पर निविदादाता हस्ताक्षर करें।
10. भुगतान बिल सहायक रिटर्निअ अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण के पश्चात प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
11. दरें अनुमोदित होने की अवधि के 2 दिवस के अन्दर प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत जमा करानी होगी। 500/- के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर इकरारनामा कराना होगा।
12. दर संविदा हेतु RTPP Rules के नियम 29 (ए. से जे.) तक की समस्त शर्तें लागू होगी।
13. निविदादाता को RTPP Rules 80(2) की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
14. विवाद की दशा मे न्यायिक क्षेत्र पाली शहर होगा।

मुझे उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं ।


जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलेक्टर) पाली

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म का नाम एवं पता

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने जिस सामग्री की लिये बोली दी है उनका मैं/हम बोनाफाइड निर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/डीलर/वितरक एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत किया जा सकेगा तथा बोली (निविदा) को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर